संख्या- 15/2015/693 /अडतीस-7-2015-42एनआरईजीए/2007

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
अनु सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2015**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन देय मजदूरी का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- जे-11011/1/2009-एमजीएनआरईजीए(भाग-3) दिनांक: 31-03-2015 द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए मजदूरी दरों को दिनांक: 01-04-2015 से रू0 156.00 से बढाकर रू0 161.00 पुनरीक्षित कर दिया गया है । अत: उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप शासनादेश संख्या- 1164/अडतीस-7-2014-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 20-05-2014 द्वारा योजनान्तर्गत् निर्धारित मजदूरी की दर रू0 156.00 से बढाकर रू0 161.00 प्रतिदिन पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह आदेश दिनांक: 01-04-2015 से प्रभावी होंगे ।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

संख्या-15/2015/ 693 (1)/अड्तीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, लोक निर्माण, वन, सिंचाई, राजस्व, कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण्, कार्यक्रम क्रियान्वयन, श्रम, भूमि विकास एवं जल संसाधन,रेशम, मत्स्य एवं नियोजन विभाग।**
2. **राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।**
3. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।**
4. **रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।**
5. **समस्त मण्डलायुक्त , उत्तर प्रदेश ।**
6. **निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस), उ0प्र0।**
7. **समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।**
8. **समस्त परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उत्तर प्रदेश ।**
9. **वेब मास्टर/ ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।**
10. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in